संख्या-68 /2026/ 1251 /001-1171 26-3-2026

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध
एवं प्रशिक्षण संस्थान,भागीदारी भवन, गोमती नगर लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-19/1-69/आय-व्ययक/2025-26/शो0प्र0सं0, दिनांक 20.04.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/ बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च 2026 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-81 के मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजन-19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0-368.70 लाख (रू 0 तीन करोड़ अड़सठ लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/ बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा

समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2225027961900 (अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	01 वेतन	1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
2	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	02 मजदूरी	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
3	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	03 मंहगाई भत्ता	1,13,75,000 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख पचहत्तर हजार मात्र)
4	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	04 यात्रा व्यय	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
5	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	06 अन्य भत्ते	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
7	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	07 मानदेय	1,75,000 (रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)
8	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	08 कार्यालय व्यय	1,75,000 (रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)
9	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	09 विद्युत देय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	10 जलकर / जल प्रभार	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
11	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)

12	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
13	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
14	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
16	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	18 प्रकाशन	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
17	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
18	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
19	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	41 भोजन व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
20	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	42 अन्य व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
21	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
22	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
23	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
24	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
25	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	49 चिकित्सा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
26	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
27	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	55 मकान किराया भत्ता	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)

28	081	2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**3,68,70,000 (रुपये तीन करोड़ अड़सठ लाख सत्तर हजार मात्र)**

महायोग	3,68,70,000 (रुपये तीन करोड़ अड़सठ लाख सत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally signed by
RAJENDRA SINGH
Date: 29-04-2026
15:16:05
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-68 /2026/1251 /001-1171 26-3-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 29-04-2026
15:17:52
चन्द्र कुमार मिश्र
अनु सचिव।